चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 28.05.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 28.05.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). आज दिनाँक-28.05.2025 को थाना कोतवाली कर्वी अंतर्गत शास्त्री नगर निवासी उ0नि0 स्व0 जितेंद्र सिंह परिहार उम्र 53 वर्ष थाना कोतवाली ललितपुर पुलिस चौकी बिरधा चौकी इंचार्ज की ड्यूटी के दौरान दिनांक 25.05.2025 को सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उनके शव को राजकीय वाहन से उनके आवास एसडीएम कॉलोनी शास्त्री नगर लाया गया जहाँ पर पुलिस उप महानिरीक्षक चित्रकूटधाम परिक्षेत्र बांदा श्री राजेश एस0, पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल, पुलिस उपाधीक्षक श्री अरविन्द कुमार वर्मा, प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण, पीआरओ श्री प्रदीप पाल सहित एवं अन्य अधि0/कर्मचारीगण द्वारा शव को पुलिस की गार्द ऑफ आनर देकर शोक सलामी की गई तत्पश्चात श्रद्धा सुमन पुष्प अर्पित कर कंधा दिया गया।

(4). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री विनोद कुमार शुक्ल के मार्गदर्शन एवं पैरोकार आरक्षी रवि प्रकाश तथा मॉनिटरिंग सेल टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री सुशील सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट श्री नीलू मेनवाल द्वारा आज दिनाँक 28.05.2025 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना रैपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 166/2022 धारा 354,323,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त अंकुल पुत्र रामप्रकाश उर्फ संतोष उम्र करीब 20 वर्ष निवासी कुई अकबरिया थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 03 वर्ष का कारावास 8000/- रूपये के अर्थण्ड से दण्डित किया गया

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण-</u>

उल्लेखनीय है दिनाँक 10.09.2022 को एक ग्राम वादिया द्वारा थाना रैपुरा में सूचना दिया गया कि अभियुक्त द्वारा वादिया को पीछे से दोनों हाथ पकड़कर गिरा देना व साडी से मुंह बंद कर देना व शिकायत थाने करने पर जान से मारने की धमकी देना। इस सूचना पर थाना रैपुरा में मु0अ0सं0 166/2025 धारा 376,323,506 भादवि0 पंजीकृत किया गया। विवेचना तत्कालीन उ0नि0/वर्तमान निरीक्षक श्री राकेश मौर्य द्वारा सम्पादित की गयी। उपरोक्त विवेचक द्वारा आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर दिनांक 25.12.2022 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस द्वारा 01 वांछित व 01 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

(i). उ0नि0 श्री कन्हैया बक्श सिंह थाना राजापुर मय हमराह आरक्षी शाकिर अली,महिला आरक्षी दीक्षा यादव द्वारा मु0अ0सं0 69/2025 धारा 85,80(2),238ख बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट की वांछित अभियुक्ता मज्जो बेगम पत्नी रमजानी उर्फ कल्लू खाँ उम्र 37 वर्ष निवसी ग्राम रायपुर थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(ii). उ0नि0 श्री शिवपूजन सरोज थाना मऊ मय हमराह आरक्षी पुष्पेन्द्र द्वारा केश नं0 257/2017 धारा 162/2017 धारा 356 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त अनिल कुमार मिश्रा पुत्र प्रेमनारायण मिश्रा उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम खोड़ीयन का पुरवा मजरा ढढवार थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(6). आज दिनाँक 28.05.025 पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह की उपस्थिति में पुलिस कर्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में पुलिस पेंशनर्स की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस पेंशनर्स की समस्याओं पर चर्चा की गई तथा अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करके कानून व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करने हेतु सभी पेशनर्स को कहा

गया साथ ही पेंशनर्स के लिए स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की जानकारी दी गयी,पेंशनर्स के लिए कानूनी सहायता या शिकायत निवारण तंत्र की जानकारी सांझा की गयी। पेंशनर्स को अपनी समस्याएं और अनुभव साझा करने का अवसर दिया गया एवं उनके समस्याओं को नोट कर और उनके समाधान के लिए सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।
इस बैठक के माध्यम से पुलिस पेंशनर्स के बीच सहयोग और संवाद को बढ़ावा देने का प्रयास किया, ताकि स्थानीय समस्याओं का समाधान किया जा सके।
बैठक में क्षेत्राधिकारी प्रज्ञान श्री अजेय कुमार शर्मा,पीआरओ श्री प्रवीण कुमार सिंह,एस0आई0 एम0 श्री केशव शुक्ला सहित जनपद के पुलिस पेशनर्स उपस्थित रहे।